न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुन्तला चौधरी R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
पारसकुंवर पुत्री शैतानसिंह पत्नी बक्तावरसिंह जाति राजपूत निवासी धुबाणा तह0 शिवगंज	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुश परिहार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 101/2023

–:आदेश:– दिनांक 18.06.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 नया खाता संख्या 214 के खसरा नंम्बर 208, 209, 210 कुल रकबा 8.4580 हैक्टयर भूमि आई हुई है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के नाम से बतौर सा0 देह खातेदारी के दर्ज है। प्रार्थीया पारस कुंवर के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक हकुकों की कृषि आराजी में प्रार्थीया का 3/40 हिस्सा नियत है। जो कि प्रार्थीया के कब्जे की है। जिस पर प्रार्थीया बहैसियत खातेदार होने से उपयोग व उपभोग करते आ रही है। उक्त खसरा सं0 की कृषि भूमि को इस प्रार्थना पत्र में आगे विवाद ग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया है। प्रार्थीया पारस कुंवर के पिता शैतानसिंह की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थीया व उनके परिवारजन द्वारा तहसीलदार शिवगंज के समक्ष उक्त खाता सं0 214 की कृषि आराजी को शैतानसिंहजी के प्रथम श्रेणी के वारिसान के हक में फौतगी नामांतरकरण का आवेदन किया था। जिसको स्वीकार करते हुए तहसीलदार शिवगंज द्वारा जांच प्रथम श्रेणी के वारिसान के हक में खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये थे। उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी को पटवार हल्का जोगापुरा द्वारा राजस्व रेकर्ड में शैतानसिंह के हिस्से की कृषि आराजी को उनके वारिसान के हक में दर्ज किया गया किन्तु प्रार्थीया का नाम पारस कुंवर दर्ज नहीं करते हुए पार्वतीकुंवर कर दिया गया है। जो कि गलत है। अतः प्रार्थीया ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 12.01.2024 को जवाब पेश किया जिस पर उभय पक्ष की दिनांक 18.06.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का नाम पार्वतीकुंवर पुत्री शैतानसिंह सा.देह खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थीया के अन्य सरकारी अथवा गैर–सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे–जनआधार कार्ड वगैरह में प्रार्थीया का नाम पारसकुंवर पुत्री शैतानसिंह है, जो कि सही एवं सत्य है एवं उक्त दोनों नाम का व्यक्ति प्रार्थीया एकमात्र स्वयं है। अतः प्रार्थीया का नाम पारसकुंवर पुत्री शैतानसिंह दुरस्त करने का पुनः निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा जोगापुरा पटवार हल्का जोगापुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जोगापुरा तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 नया खाता संख्या 214 के खसरा नंम्बर 208,209,210 कुल रकबा 8.4580 हैक्टयर में दर्ज नाम पार्वतीकुंवर पुत्री शैतानसिंह के स्थान पर पारसकुंवर पुत्री शैतानसिंह नाम दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(शकुन्तला चौधरी R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 18–06–2024

क्रमांक:–कोर्ट/2024/ 393

प्रतिलिपि पालनार्थ:–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)